झारखण्ड विधान सभा

षष्ठम् झारखण्ड विधान सभा

षष्ठम् (मानसून) सत्र II

कार्य सूची

26 नवंबर, 2026

11:00:00

---

1. राजकीय संकल्प

(1) खान एवं भूत्तव विभाग के प्रभारी मंत्री (मुख्यमंत्री) श्री हेमन्त सोरेन प्रस्ताव करेंगे कि चूकि केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक-**17.08.2026** को **"The Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act 2026"** अधिसूचित किया गया है। उक्त अधिनियम के माध्यम से राज्यों द्वारा खनिज अधिकारों और खनिज युक्त भूमि पर कर/उपकर/सेस लगाने की शक्तियों को सीमित किया गया है। साथ ही पूर्व के ऐसे किसी भी राज्य कर/उपकर/सेस का बकाया अथवा वसूली न की गयी राशि के दावा को अमान्य किया गया है।

2. इस अधिनियम के लागू किये जाने के फलस्वरूप राज्य सरकार को प्रतिवर्ष लगभग 13 हजार करोड़ रुपये के भारी राजस्व का नुकसान होने की संभावना है, जिससे राज्य की सामाजिक सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास तथा अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए आवश्यक वित्त प्रबंधन में राज्य सरकार को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।

3. झारखण्ड खनिज संपदा के मामले में देश के सबसे समृद्ध राज्यों में से एक है। साथ ही साथ यह एक आदिवासी बाहुल्य राज्य भी है। राज्य के ज्यादातर खनन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा आदिम जनजाति के लोग निवास करते हैं और खनन से होने वाले नुकसान का दंश भी सबसे ज्यादा इन्हीं समुदाय के लोगों को झेलना पड़ता है। खनन क्षेत्रों में निवास करने वाले समुदायों को विस्थापन/भूमि से बेदखली / पर्यावरणीय क्षति तथा सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन की समस्या का सामना करना पड़ता है। वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत यह न्यायोचित है कि खनिज संपदा से प्राप्त आर्थिक लाभ का एक हिस्सा खनन प्रभावित क्षेत्रों में निवास करने वाले आदिवासियों, पिछड़ों तथा दलितों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान तथा जन-कल्याणकारी कार्यक्रमों में लगाया जाय।

4. सर्वोच्च न्यायालय के 09 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने **"Mineral Area Development Authority"** बनाम् **Steel Authority of India Ltd.** के मामले में जुलाई, 2024 में निर्णय दिया है कि-

"खनिज युक्त भूमि भी भूमि है, अतः संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची (प्रविष्टि-49) के अन्तर्गत राज्य सरकारों को ऐसी भूमि पर कर / उपकर लगाने का अधिकार है। खनिज का मूल्य अथवा उत्पादन को उस कर की गणना का आधार बनाया जा सकता है।"

5. उपर्युक्त निर्णय द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी राज्य सरकारों को ऐसी भूमि पर कर/उपकर लगाने के अधिकार को राज्यों का अधिकार माना है। अर्थात राज्यों को ऐसी भूमि पर कर/उपकर लगाने का अधिकार संघीय ढाँचे (**Federal Structure**) के अनुकूल एवं संविधान प्रदत्त अधिकार है। झारखण्ड राज्य में निवास करने वाले आदिवासियों, पिछड़ों तथा दलितों को जिन प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, उसकी भरपाई के लिए खनन से प्राप्त आर्थिक लाभ का एक हिस्सा उनके सामाजिक, आर्थिक उत्थान के लिए खर्च करना, किसी भी जन-कल्याणकारी राज्य का नैतिक एवं संवैधानिक दायित्व है।

6. इसी पृष्ठभूमि में झारखण्ड विधान सभा द्वारा "झारखण्ड मिनरल बेयरिंग लैण्ड सेस विधेयक, 2024" पारित किया गया तथा राज्य सरकार द्वारा इसे अधिनियमित किया गया। राज्य सरकार को इससे प्रतिवर्ष लगभग 13 हजार करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हो रहा है, जिसे झारखण्ड राज्य में निवास करने वाले समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास एवं जन कल्याणकारी कार्यक्रमों पर व्यय किया जा रहा है।

7. वर्तमान में **The Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2026** लागू हो जाने के उपरांत राज्य सरकारें खनिज अधिकारों अथवा खनिज युक्त भूमि पर किसी प्रकार का कर, उपकर (**Cess**) अथवा अन्य लेवी केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के बिना नहीं लगा सकेंगी।

8. निष्कर्षतः **The Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2026** के प्रतिकूल प्रभाव को निम्नांकित बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है:-

i) जिन क्षेत्रों ने खनन के सामाजिक एवं पर्यावरणीय बोझ को उठाया है. उन्हीं क्षेत्रों के विकास कार्यों के लिए उपलब्ध संसाधन कम हो जायेंगे।

ii) खनन क्षेत्रों में निवास करने वाले अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा आदिम जनजाति के लोग, जिन्होंने खनन के कारण विस्थापन/भूमि से बेदखली तथा सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन की समस्या का सामना किया है, उनके सामाजिक, आर्थिक उत्थान की दिशा में "झारखण्ड मिनरल बेयरिंग लैण्ड सेस अधिनियम, 2024" सरकार का एक उल्लेखनीय प्रयास था। केन्द्र सरकार के इस नये संशोधन कानून ने राज्य सरकार के इन सद्प्रयासों पर विराम लगा दिया है।

iii) राज्य सरकार को प्रतिवर्ष लगभग 13 हजार करोड़ रुपये के भारी राजस्व का नुकसान होगा जिससे राज्य की सामाजिक सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास तथा अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए आवश्यक वित्त प्रबंधन में राज्य सरकार को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।

iv) संघीय ढाँचा प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा तथा राज्यों को अपनी सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक तथा पर्यावरणीय परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में विकास करना अधिक चुनौतीपूर्ण होगा।

9. उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं पृष्ठभूमि में **The Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2026** पर केन्द्र सरकार द्वारा पुर्नविचार किये जाने की आवश्यकता है, जिससे कि-

i) राज्य के संवैधानिक एवं वित्तीय अधिकार अक्षुण्ण रहें।

ii) झारखण्ड राज्य को खनन गतिविधियों के कारण होने वाले क्षति की भरपाई होती रहें।

iii) राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास, कृषि तथा आधारभूत संरचना के क्षेत्र में चलाये जा रहे विकास कार्यों के साथ-साथ झारखण्ड राज्य में निवास करने वाले आदिवासियों, पिछड़ों, दलितों तथा महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए चलाये जा रहे जन-कल्याणकारी कार्यक्रमों को बेहतर रूप से संचालित किया जा सके।

10. संदर्भित प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

11. उपरोक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत लिये गये निर्णय के आलोक

में **The Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2026** पर केन्द्र सरकार द्वारा पुर्नविचार करने/वापस लिये जाने के प्रस्ताव पर विधान सभा की विशेष बैठक में चर्चा के उपरांत राज्य सरकार के संकल्प संख्या-2671, दिनांक-23.11.2026 को पारित कर केन्द्र सरकार को भेजने हेतु सभा की सहमति हो।

रंजीत कुमार
प्रभारी सचिव
झारखण्ड विधान सभा

राँची - 834004
दिनांक:26 नवम्बर 2026